(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

रोशनलाल बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 79 सन 2025 जीसीएमएस नं. 378

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 12.09.2025 को पेश हो। (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)	
12.09.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि बाके ग्राम अदरावली व नैवाड़ी की आराजीयात में प्रार्थी का रोशनलाल के स्थान पर रोशन राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में सही नाम रोशनलाल दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अध्ययन किया गया। इसके आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर	

--- लगातार

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 429 बाके ग्राम जदराना तह. भुसावर तथा आ.ख.नं. 100, 303 बाके ग्राम नैवाड़ी तह. भुसावर में प्रार्थी का गलत नाम रोशन के स्थान पर रोशनलाल दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.